सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/SER-2568/MRLY/52/2025-RU-IV   दिनांक : 06.11.2025

सेवा मे,

1 **प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी**
पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW),
DMW Colony,
पटियाला, पंजाब 147003
ई:मेल- pcaodmw@dmw.railnet.gov.in

2 **अध्यक्ष,**
रेलवे बोर्ड,
रेल भवन, रायसीना रोड,
रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली-110001
E.mail: crb@rb.railnet.gov.in

विषय: पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW) में रेलवे बोर्ड की पदोन्नति संबंधी नीति लागू करवा कर प्रार्थी को पदोन्नति देने के संबंध में श्री कमलेश मीना, वरिष्ठ तकनीशियन/ABS, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW) का पत्र /अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्टकी गई कार्रवाई /की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

6.11.25

प्रवीण कुमार सिंह
अवर सचिव
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री कमलेश मीना,
चांदपुर, गीजगढ़, दौसा
राजस्थान -303502,
kamleshm2153@gmail.com
Mobile No:9779596583

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-2568/MRLY/52/2025-RU-IV

श्री कमलेश मीना, वरिष्ठ तकनीशियन/ABS, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW) के पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW) में रेलवे बोर्ड की पदोन्नति संबंधी नीति लागू करवा कर प्रार्थी को पदोन्नति देने के संबंध में दिनांक 09.10.2025 को दोपहर 01:50 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 09.10.2025 को 03:10 बजे अपराह्न
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार

अभ्यावेदन श्री कमलेश मीना, वरिष्ठ तकनीशियन (ABS), पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW) का, दिनांक 20.07.2025 के पत्र द्वारा आयोग में प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वे पीएलडब्ल्यू, पटियाला में वरिष्ठ तकनीशियन के पद पर कार्यरत हैं तथा दिनांक 27.07.2023 को जारी आधिकारिक पैनल के अनुसार अनुसूचित जनजाति (ST) कोटे के तहत विधिवत चयनित होने के बावजूद उन्हें जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति से अनुचित रूप से वंचित किया गया है। उनका कहना है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2018-ई(SCT)I-25-9 दिनांक 22.06.2022 तथा अन्य उच्च-स्तरीय निर्देशों में आरक्षण नीति के निष्पक्ष अनुपालन के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, परंतु पीएलडब्ल्यू प्रशासन ने इन निर्देशों की अवहेलना करते हुए पैनल को मनमाने ढंग से कई महीनों तक लंबित रखा तथा बिना किसी वैध कारण उनके नाम को अंतिम आदेश से वंचित रखा। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि उन्हें नियमानुसार पदोन्नति का लाभ दिलाया जाए।

2. आयोग द्वारा नोटिस दिनांक 20.08.2025 जारी कर महानिदेशक, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW), पटियाला, पंजाब से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।

3. दिनांक 12.09.2025 को उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, पटियाला से प्राप्त पत्र में बताया गया है कि विभाग को अपना प्रतिवेदन तैयार कर आयोग में प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त चार सप्ताह का समय आवश्यक है, अतः इस अवधि की वृद्धि हेतु अनुरोध किया गया है।

4. मामले की गंभीरता को देखते हुए तथा शिकायतकर्ता के लगातार अनुरोध पर आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ दिनांक 09.10.2025 को अपराह्न 03:10 बजे सुनवाई निर्धारित की गई और तदनुसार महानिदेशक, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW), पटियाला, पंजाब को समन जारी किया गया ।

5. सुनवाई के दौरान पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स की ओर से प्रधान मुख्य लेखा अधिकारी एवम वरिष्ठ विधि अधिकारी उपस्थित हुए । अभ्यावेदक भी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए |

6.उपस्थित अधिकारियों ने बताया की श्री कमलेश मीणा की पदोन्नति कनिष्ठ अभियंता (मशीनिस्ट ट्रेड) पद पर प्रोन्नति कोटे में लंबित है। दिनांक 17.05.2023 को जारी अधिसूचना के तहत 06 रिक्तियों (01 अनुसूचित जनजाति व 05 सामान्य) के लिए चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। लिखित परीक्षा एवं अभिलेख मूल्यांकन के उपरांत 27.07.2023 को 06 अभ्यर्थियों की पैनल सूची जारी की गई, जिसमें श्री कमलेश मीणा का नाम क्रमांक 6 पर था।

आशा लकड़ा

RBE संख्या 91/2018 के अनुसार रिक्तियों की समीक्षा के बाद 22.12.2023 को संशोधित पदोन्नति आदेश जारी हुआ, जिसमें पहले चार अभ्यर्थियों (03 अनुसूचित जनजाति व 01 सामान्य) को पदोन्नति दी गई। श्री मीणा संशोधित सूची में पाँचवें स्थान पर होने के कारण पदोन्नति से वंचित रह गए। बाद में 19.10.2024 को मशीनिस्ट कैडर की स्वीकृत संख्या में कटौती की गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रोन्नति कोटे के केवल 02 पद शेष रह गए, जिन पर वर्तमान में 03 अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी कार्यरत हैं।

7. उक्त शिकायत के निवारण हेतु कार्यालय द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। 25.07.2025 को पैनल की अवधि समाप्त हो जाने के कारण रेलवे बोर्ड से पैनल पुनः संचालित करने की अनुमति मांगी गई है, ताकि RBE संख्या 147/2023 के अनुसार पदोन्नति आदेश जारी कर मूल वरिष्ठता बहाल की जा सके।

8. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत, आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती है :

(i) इस संबंध में, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्गत पत्र संख्या PLW/P/SI/11/T&P/Machinist/PRQ दिनांक 07.10.2025 को त्वरित कार्रवाई हेतु आयोग द्वारा रेलवे बोर्ड को प्रेषित किया जा रहा है।
रेलवे बोर्ड से अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकरण में आवश्यक अग्रिम कार्रवाई करें तथा की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराएँ।

(ii) इस प्रकरण में, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा रेलवे बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित करते हुए 30 दिवस के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रेषित की जाए।

नोट: कार्यवृत्त की एक प्रति अग्रिम कार्रवाई हेतु रेलवे बोर्ड को प्रेषित की जाए।

आशा लकड़ा
31/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

R-7

	भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA** रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS** पटियाला रेल इंजन कारख़ाना PATIALA LOCOMOTIVE WORKS (formerly Diesel Modernisation Works, Patiala)	Phone: 0175-2396702 **PATIALA**-147003

No. PLW/P/S-I/11/T&P/Machinist/PRQ

Date: 07.10.2025

Secretary, Establishment/NG
Railway Board,
Rail Bhawan, New Delhi

Sub.: Revival of selection panel for the post of JE(Machinist), Level-6 against 25% PRQ.

Promotion process for filling up 06 posts (ST-1 and UR-5) of Junior Engineer (Machinist trade), Level-6 against 25% Promotee Quota was initiated vide notice dated 17.05.2023. Three out of six posts were anticipated vacancies. Total 18 candidates were called for Written Test to be held on 28.06.2023. All the 17 candidates appeared in the Written Test held on 28.06.2023 passed the written test. On the basis of scrutiny of their service records under second part of selection 6 candidates were placed on the panel for promotion to the post of JE-6. Selection panel was published vide notice dated 27.07.2023 [copy enclosed]. In the said panel, first three candidates belonging to ST community were empanelled against UR posts. Third and fourth candidates were belonging to UR community whereas sixth candidate was Sh. Kamlesh Meena, ST empanelled against ST community.

Subsequently- as per decision taken at local level- all the promotions cases, which were underway, were halted and assessment of the vacancies were reviewed in the light of Hon'ble Supreme Court's orders in case of M.Nagarajan, this case was also reviewed and it was decided to go ahead with promotion process as per seniority without applying Reservation Roster. Resultantly, it was decided to initiate process for de-paneling the name of Sh. Kamlesh Meena [ST], who was empanelled against post reserved for ST community. Neither the name of Sh. Kamlesh Meena was got deleted from the said panel nor could he be promoted to the post of JE[Machinist], level-6

The fifth candidate on the panel, Sh. Karni Singh got retired on superannuation on 31.07.2023 and first four on the panel were promoted to the post of JE[Machinist], level-6 on 22.12.2023.

In the meanwhile, process for redistribution of posts from Machinist trade (as the same was declared as diminishing trade in Technical Wing) to other trades had been initiated. A total, 14 posts of JE [Machinist trade] were redistributed to other trades, leading to excess availability of staff against Promotee Quota in Machinist Trade. Sh Kamlesh Meena could not be promoted as JE, Level-6 owing to the situation described above. The validity of panel got expired on 25.07.2025.

In view of Inspection held at PLW on 26.08.2025 by EDE/Reservation and the issues raised by AISCSTREA, Patiala Zone, it has now been decided that this 'Selection' may be reviewed.

Since Sh. Kamlesh Meena could not be promoted to the post of JE[Machinist], level-6 owing to interpretation at local administrative level, the office of Railway Board is requested to grant approval for revival of above mentioned panel expired on 25.07.2025 as well as for utilising element of one of the posts which have been redistributed to other cadres/trades.

This issues with the approval of Principal Chief Administrative Officer, PLW.

07.X.2025

[Sanjeev Kumar Gupta]
Dy. Chief Personnel Officer

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-2568/MRLY/52/2025-RU-IV

Sitting to be held on **09.10.2025 at 03.10 P.M**- पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW) में रेलवे बोर्ड की पदोन्नति संबंधी नीति लागू करवा कर प्रार्थी को पदोन्नति देने के संबंध में - **श्री कमलेश मीना**, वरिष्ठ तकनीशियन/ABS, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW) का दिनांक

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Principal Chief Administrative Officer, Patiala Locomotive Works (PLW), Patiala, Punjab.**		
1.	Rajesh Mohan	PCAO/PLW 9779242000	[signature]
2.	Lalit Mohan Morya	Sr. Law officer 9779582140	[signature]
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	Kamlesh Meena	Sr. Tech. 9779596583	[signature]
2.			